भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1133
बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 / 22 अग्रहायण , 1945 (शक) को उत्तरार्थ

ग्रामीण जल आपूर्ति संबंधी कार्यों के लिए पीएसीएस

1133. **डा. अनिल जैन:**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति संबंधी कार्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को शामिल करने के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पहल को सफलतापूर्वक लागू करने में राज्यों की भूमिका क्या है; और

(ग) उक्त पहल से गावों के नागरिकों को किस प्रकार लाभ होगा ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की पहुंच का उपयोग करते हुए, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) करने हेतु पात्र एजेंसियां बनाया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि पैक्स को ग्रामीण पीडब्ल्यूएस के लिए 'ओ एंड एम' एजेंसियों के रूप में नियुक्त करने हेतु अपनी 'ओ एंड एम' नीति में उपयुक्त प्रावधान शामिल करें। इसके अतिरिक्त, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पैक्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है एवं उन्हें क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास जैसी सहायता भी प्रदान की जा रही है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत/ गांव स्तर पर 'ओ एंड एम' सेवाएं प्रदान करने के लिए 12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने 1,381 पैक्स की पहचान की है। यह पहल न केवल पैक्स की आय को बढ़ाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई के संचालन के लिए एक मजबूत तंत्र भी प्रदान करेगी।

*****